भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-**110001**

सं. ईसीआई/प्रेस नोट/**97/2017** दिनांक: **28** दिसम्बर, 2017

प्रेस नोट

विषय: राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से लोक सभा में और राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल की राज्य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए उप-निर्वाचनों हेतु अनुसूची-तत्संबंधी।

विभिन्न राज्यों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से लोक सभा में स्पष्ट रिक्तियां हैं, जिन्हें भरे जाने की आवश्यकता है:

क्रम सं.	राज्य	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
1.	राजस्थान	**8**-अलवर
		13-अजमेर
2.	पश्चिम बंगाल	**26**-उलुबेरिया

विभिन्न राज्यों की राज्य विधान सभाओं में स्पष्ट रिक्तियां हैं, जिन्हें भरे जाने की आवश्यकता है:

क्रम सं.	राज्य	विधान सभा की संख्या व नाम
1.	राजस्थान	**183**-माण्डलगढ
2.	पश्चिम बंगाल	**107**-नोआपाडा

स्थानीय त्योहारों, निर्वाचक नामावलियों, मौसमी स्थितियों इत्यादि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने इन रिक्तियों को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करवाने का निर्णय लिया है:-

मतदान कार्यक्रम	अनुसूची
अधिसूचना जारी करने की तारीख	**03.01.2018** (बुधवार)
नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख	**10.01.2018** (बुधवार)
नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	**11.01.2018** (गुरुवार)
अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख	**15.01.2018** (सोमवार)
मतदान की तारीख	**29.01.2018 (सोमवार)**
मतों की गणना की तारीख	**01.02.2018** (गुरुवार)
वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न करवा लिया जाएगा	**03.02.2018** (शनिवार)

निर्वाचक नामावली

राजस्थान के **8**-अलवर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, 13-अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के **26**-उलुबेरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और राजस्थान के **183**-माण्डलगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल के **107**-नोआपाडा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियां दिनांक **01.01.2018** के सन्दर्भ में उप-निर्वाचन हेतु प्रयोग में लाई जाएंगी। इन निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियां अंतिम रुप से दिनांक **02.01.2018** को प्रकाशित होंगी।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी

आयोग ने सभी मतदान केन्द्रों में उप-निर्वाचनों में ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रयोग करने का निर्णय लिया है ईवीएम और वीवीपीएटी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराई गई हैं और यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए गए हैं कि इन मशीनों से मतदान निर्विघ्न रुप से संचालित किए जाएं।

मतदाताओं की पहचान

विगत प्रथा के अनुरुप, आयोग ने निर्णय लिया है कि उपर्युक्त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाता की पहचान करना अनिवार्य होगा। मतदाता फोटो पहचान-पत्र **(**ईपीआईसी**)** मतदाता की पहचान का मुख्य दस्तावेज होगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे, यदि उसका नाम निर्वाचक नामावलियों में दिया गया हो, उक्त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति देने हेतु अलग से निदेश जारी किए जाएंगे।

आदर्श आचार संहिता

आयोग के दिनांक **29** जून, 2017 के अनुदेश सं**.437/6/**अनु**.2016/**सीसीएस आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध, के तहत जारी किए गए आंशिक संशोधन के अध्यधीन आदर्श आचार संहिता उन जिलों में तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी जिनमें उप-निर्वाचन होने वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण या कोई भाग सम्मिलित है। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्य सरकारों के लिए लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्यों के लए संघ सरकार के लिए भी लागू होगी।

(सुमित मुखर्जी)
प्रधान सचिव